न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 71/2017/अपील

1 ग्यारसीलाल 2. सांवरमल 3. कन्हैयालाल	पुत्रगण मांगूराम जाति माली निवासीगण ढाणी केरली तन अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलान्टस

बनाम

राज्य सरकार जरिए उप तहसीलदार अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 22.08.2016 मु.न. 145/2016 अनुवानी सरकार बनाम ग्यारसीलाल आदि द्वारा न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ़

वकील अपीलांट श्री नोपाराम जांगिड़
वकील रेस्पोडेंट श्री रामावतार शर्मा

निर्णय

दिनांकः– 28.05.2018

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में भूमि खसरा नम्बर 408, 409 रकबा क्रमशः 0.12, 0.06 हैक्टर गै0 मु0 नाला अवस्थित है। जिस पर डोल लगाकर अतिक्रमण करने का नोटिस अदालत मातहत द्वारा दिया गया तथा अदालत मातहत द्वारा दिनांक 22.08.2016 को बेदखली का ओदश पारित किया गया। चुनौतिग्रस्त आदेश पारित करने से पूर्व अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवायी व साक्ष्य सबूत का कोई मौका नही दिया। अपीलांट ने कोई अतिक्रमण नाला की भूमि खसरा नम्बर 408 व 409 में नही किया है अलादत मातहत में अपीलांट संख्या 2 दिनांक 25.07.2016 को उपस्थित हुआ तथा आगामी दिनांक 22.08.2016 दी गयी। जिस पर अपना जबाब पेश कर कथन किया कि जबाबदाता ने भूमि गै0मु0 नाला खसरा नम्बर 408 व 409 पर कोई अतिक्रमण नही किया है तथा अतिक्रमी नही है। जबाबदाता की खातेदारी व कब्जे काश्त का खेत खसरा नम्बर 399, 411, 410 नाला खसरा नम्बर 408 व 409 के उतरी ओर स्थित है तथा उक्त नाला के दक्षिण में खेत खसरा नम्बर 407 झूंठी शिकायत करने वाले खातेदार बाबूलाल सैनी का है जिसने उक्त नाला पर अतिक्रमण कर रखा है। इसलिए जबाबदाता के विरूद्ध जारी उक्त नोटिस को निरस्त फरमाया जावें। अपीलांटस की भूमि का वर्तमान नक्शा पुराने नक्शा से छोटा बना दिया, जिसकी दुरूस्ती का आवेदन विचाराधीन है। पटवारी हल्का व गिरदावर ने फर्द बेदखली में अंकित कार्यवाही मौके पर जाकर नही की तथा न ही मौके पर जांच व नाप की गयी तथा केवल कागजी कार्यवाही की गयी। जिसकी कोई सूचना अपीलांटस को नही दी गयी तथा असल अतिक्रमी साजसी व्यक्ति बाबूलाल सैनी की साज से सारी कार्यवाही कागजी रूप से की गयी है। अपीलांटस का उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अतः अपील

Web Copy - Not Official

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिकॉर्ड हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 14.07.2016 में अंकित किया है कि अपीलांट द्वारा ग्राम अजीतगढ़ के खसरा नम्बर 408 रकबा 0.12 है0 व खसरा नम्बर 409 रकबा 0.06 है0 किस्म गै.मु. नाला पर डोल लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं दिनांक 22.08.2016 को चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित कर दिया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन करने पर उपलब्ध दस्तावेजात में हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.12.2017 में अंकित किया गया है कि "भूमि खसरा नम्बर 408, 409 गै.मु. नाला से जो बरसात का पानी आता है वर्तमान मौके के अनुसार खसरा नम्बर 399, 408 में सरकारी बांध बने होने से खसरा नम्बर 399, 408 में पानी भर सकता है।" ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत अजीतगढ़ के पत्र क्रमांक 259 दिनांक 14.02.2018 के बिन्दु संख्या 6 में अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत अजीतगढ़ में भूमि खसरा नम्बर 399, 408, 409, 410 तथा 411 में बांध निर्माण किया गया था। अधिवक्ता अपीलांट की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया गया। पटवारी हल्का अजीतगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 14.07.2016 व 28.12.2017 एक दूसरे के विरोधाभासी है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 14.07.2016 में अपीलांट का ग्राम अजीतगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 408, 409 किस्म गै.मु. नाला की भूमि पर डोल लगाकर अतिक्रमण माना गया है एवं रिपोर्ट दिनांक 28.12.2017 में उक्त अतिक्रमित भूमि पर सरकारी बांध बना होना अंकित किया गया है एवं ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत अजीतगढ़ के पत्र दिनांक 14.02.2018 में उक्त भूमि पर बांध निर्माण होना अंकित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 22.08.2016 विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं होने से खारिज किया जाता है एवं प्रकरण उप तहसीलदार अजीतगढ़ को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः विधिसम्मत जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy Not Official